



ट्रक लुटेरे गैंग का सरगना व 25 हजार का इनामी बदमाश दबोचा

- गैंग के बाकी सदस्य पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल
- क्राइम ब्रांच की टीम ने पनकी थाना क्षेत्र से दबोचा
- पेशे से ट्रक चालक है पकड़ा गया इनामी अभियुक्त
- ट्रक चालकों को जहर देकर बीच रास्ते में मारकर लूटते थे ट्रक

कानपुर। ट्रक चालकों को खाने पीने की चीज में जहर देकर उनकी हत्या करके माल सहित ट्रक लूटने वाले गिरोह के सरगना को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त पर ₹25000 का इनाम घोषित था। गिरोह के अन्य सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम पहले ही जेल भेज चुकी है। पनकी थाना क्षेत्र में पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।

घटनाक्रम के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 101/ 2022 धारा 406 ipc के अंतर्गत वादी मुकदमा एहसान उल्ला खान द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2022 को थाना जूही में ट्रक चालक इंद्रकुमार पुत्र सोने लाल व उसके पुत्र इंद्रपाल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना में पता चला कि दिनांक 05-07-2022 को उक्त घटना से संबंधित चोरी गया ट्रक नंबर UP78-CN-2113 थाना अलीपुर दिल्ली से लावारिस स्थिति में बरामद हुआ था तथा दिनांक 24 जुलाई 2022 को ट्रक में लोडेड प्लास्टिक दाना माल 960 बोरी कीमत 2500000 रुपए दिल्ली से शीशराम रावत के मकान से अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी A2/10A इंद्रलोक डीडीए फ्लैट थाना सराय रोहिल्ला जनपद नार्थ दिल्ली के कब्जे से बरामद हुआ था।

अभियुक्त मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करने के पश्चात उसके द्वारा दिए गए बयान तथा अन्य साक्ष्य संकलन से छह अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए जिनमें गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आसिफ का भाई मोहम्मद कासिम तथा मोहम्मद अजहर व पिता यूसुफ पुत्र स्वर्गीय अहमद हसन के अलावा उस्मान अली उर्फ तनकू उर्फ अजय उर्फ आलम पुत्र इदरीश उर्फ नवाब अली निवासी ग्राम सिंगसिया पुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात तथा मृतक ट्रक चालक इंद्र कुमार का साथी ओमप्रकाश कटियार पुत्र रामविलास निवासी 112 ख्यौर थाना नवाबगंज कानपुर का नाम अभियुक्त के तौर पर प्रकाश में लाया गया। तथा साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा 406 आईपीसी से तरमीम होकर धारा 364, 392, 411, 34 120 बी आईपीसी में तरमीम किया गया था। जिनमें मोहम्मद आसिफ तथा मोहम्मद उस्मान अली उर्फ तनकू उर्फ अजय उर्फ आलम को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे ओमप्रकाश कटियार के विरुद्ध पुलिस उपायुक्त अपराध महोदय द्वारा ₹25000 का इनाम घोषित किया गया था तथा माननीय न्यायालय से वारंट भी प्राप्त किया गया था। आज शनिवार दिनांक 4 मार्च 2023 को मुखबिर की सूचना पर घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी साजिशकर्ता शातिर अभियुक्त इनामी अपराधी ओमप्रकाश कटियार उपरोक्त को भौती बाईपास थाना क्षेत्र पनकी से अपराध शाखा की टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका

अभियुक्त ओमप्रकाश कटियार के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। इसके गिरोह के सदस्य उस्मान अली उर्फ तनकू उर्फ आलम उर्फ अजय के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में करीब 1 दर्जन मुकदमें हत्या लूट चोरी आदि के पंजीकृत हैं। अभियुक्त ओमप्रकाश कटियार का एक गिरोह है, जिसके गिरोह में 6 सदस्य हैं। अभियुक्त ओमप्रकाश कटियार पेशे से ट्रक चालक है जिस ट्रांसपोर्ट में काम करता है उसी ट्रांसपोर्ट के या अन्य ट्रांसपोर्ट के ट्रक चालकों से दोस्ती करके अपने साथी अभियुक्तों उस्मान अली उर्फ तनकू उर्फ अजय उर्फ आलम को ट्रक में बिठा देता है और रास्ते में मौका पाकर ट्रक चालक को विश्वास में लेकर उनके चाय खाने पीने में जहर मिलाकर पिला कर उनकी हत्या कर देते हैं। शव को सड़क किनारे कहीं फेंक देते हैं और ट्रक को माल सहित लूटकर अपने गिरोह के सदस्यों के माध्यम से बँचकर पैसे आपस में बाँट लेते हैं।

आपराधिक इतिहास

- 1-अपराध संख्या 101/ 2022 धारा 364 392 34 411 120 बी आईपीसी थाना जूही
- 2-अपराध संख्या 525/2022 धारा 364 आईपीसी थाना नौबस्ता कानपुर
- 3- अपराध संख्या 582/ 2010 धारा 376 302 201 आईपीसी थाना घाटमपुर जिसमें आजीवन कारावास हुआ है माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है
- 4- अपराध संख्या 01/2015 धारा 60 एक्साइज एक्ट थाना नवाबगंज कानपुर
- 5- अपराध संख्या 222 /2015 धारा 60 एक्साइज एक्ट थाना नवाबगंज

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

ओम प्रकाश कटियार पुत्र रामविलास निवासी मकान नंबर 112 ख्योरा थाना नवाबगंज जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम - निरीक्षक रविशंकर त्रिपाठी क्राइम ब्रांच, उप निरीक्षक सुनीत शर्मा सर्विलांस क्राइम ब्रांच, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार क्राइम ब्रांच, कांस्टेबल सत्यवीर अवाना क्राइम ब्रांच, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह क्राइम ब्रांच, हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार क्राइम ब्रांच, कांस्टेबल मनोज कुमार क्राइम ब्रांच, चालक शहबाज खान क्राइम ब्रांच शामिल रहे।